

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2015/ 741

दिनांक:- 8/10/15


### आदेश

आवासीय अभियन्ता खण्ड-प्रथम, उदयपुर के अधीन गोवर्धन विलास, आवासीय योजना एवं दक्षिण विस्तार योजना के अवशिष्ट आवासों को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय के प्रस्तावानुसार नीलामी के माध्यम से निस्तारण किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

| आय वर्ग           | योजना का नाम                          | आवासों का विवरण                                   |         |
|-------------------|---------------------------------------|---|---------|
| MIG-A<br>(G+3)    | गोवर्धन<br>विलास,<br>उदयपुर           | Ground Floor = GVF/I-02, K-02, L-01               | 03 Nos  |
|                   |                                       | First Floor = GVF/E-06                            | 01 No.  |
|                   |                                       | Second Floor = GVF/ H-10, J-10, M-09              | 03 Nos. |
|                   |                                       | Third Floor = GVF/J-14                            | 01 Nos. |
| EWS               | दक्षिण<br>विस्तार<br>योजना,<br>उदयपुर | A-90, A-130, A-147, A-162, A-166, A-189,<br>A-232 | 07 Nos. |
| LIG (G+3)         |                                       | First Floor - E-07<br>Third Floor - E-16          | 2 Nos   |
| LIG               |                                       | A-106, B-113                                      | 2 Nos   |
| MIG-A             |                                       | C-161   | 01 No.  |
| MIG-A<br>(G+3)    |                                       | Third Floor - G-14                                | 01 No.  |
| MIG-A<br>(Duplex) |                                       | B-195   | 01 No.  |
|                   |                                       | <b>कुल</b>  |         |


अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय/उप आवासन आयुक्त, वृत्त-उदयपुर नीलामी से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है, उक्त आवासों के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य आवास नीलामी हेतु रिक्त नहीं है एवं उक्त आवासों का निस्तारण उचित प्रचार प्रसार के माध्यम से किया जावे तथा आवासों का निस्तारण नीलामी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त उदयपुर, रा0आ0म0 उदयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड उदयपुर, रा0आ0म0 उदयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

  
सम्पदा प्रबंधक (मु0)